न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एस0सी0 / एस0टी0एक्ट,
कानपुर नगर।
सत्र परीक्षण सं0–658 / 2002
सरकार.....बनाम.....श्यामबाबू आदि

दिनांक 30.07.2018

पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है। प्रार्थी / अभियुक्त श्यामबाबू पुत्र जुग्गीलाल निवासी कस्बा सचेण्डी, थाना सचेण्डी,कानपुर नगर की ओर से 67ख प्रार्थनापत्र बाल अपराधी घोषित किये जाने हेतु इस आधार पर दिया गया है कि उसके द्वारा पूर्व में दिनांक 25.08.2011 को तथा 12.09.2011 को बाल अपराधी घोषित किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी की जन्मतिथि 01.04.1985 है जिसके अनुसार दर्शित घटना के समय उसकी उम्र 15 वर्ष थी और वह जूविनाइल था। प्रार्थनापत्र के समर्थन में मदन गोपाल शुक्ल इण्टर कालेज कठारा,कानपुर का टी0सी0 प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर प्रार्थी को प्रस्तुत मामले में जूविनाइल घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त के आधार पर घटना के समय 15 वर्ष की आयु का होने के आधार पर जूविनाइल घोषित कर जूविनाइल बोर्ड को मामला सन्दर्भित किया जाये।

प्रार्थी के द्वारा दिनांक 24.08.2011 को आत्मसमर्पण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें यह तथ्य उल्लिखित किया गया है कि 3 अप्रैल 2000 समय 4.00 बजे की घटना दर्शायी गयी है। प्रार्थी की जन्मतिथि 01.04.1985 है। पण्डित मदन गोपाल शुक्ल इण्टर कालेज, कठारा,कानपुर की छात्र पंजिका एवं स्थानान्तरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है। कथित घटना के समय उसकी उम्र 15 वर्ष थी और इस प्रकार वह किशोर अपराधी था।

पत्रावली पर जुग्गीलाल पिता अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र की फोटोप्रति पत्रावली में शामिल है जिसमें अभियुक्त की जन्मतिथि 01 अप्रैल 1985 होना कथित है तथा यह कथन किया गया है कि घटना के समय वह किशोर अपराधी था।

अभियुक्त की ओर से पण्डित मदन गोपाल शुक्ल इण्टर कालेज, कठारा, कानपुर नगर की छात्र पंजिका व स्थानान्तरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की गयी है। अभियोजनपक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है तथा यह कहा गया है कि प0 मदन गोपाल शुक्ल इण्टर कालेज कठारा,कानपुर में अभियुक्त का दाखिला कक्षा–10 में हुआ है, उसके पूर्व का कोई जन्म से संबंधित प्रमाणपत्र पत्रावली पर अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। मात्र उक्त स्थानान्तरण प्रमाणपत्र के आधार पर उसकी उम्र 01.04.1985 नहीं मानी जा सकती। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

जॉच के दौरान अभियुक्त की ओर से 30ख प्रपत्र प्रधानाचार्य जवाहरलाल नेहरू इण्टर कालेज, जामू,कानपुर नगर में अभियुक्त द्वारा हाईस्कूल परीक्षा देने से संबंधित प्रवेश पत्र तथा उत्तर पुस्किा विवरण रजिस्टर की फोटोप्रति प्रस्तुत की गयी है तथा सी0डब्लू–1 के रूप में राजेश कुमार द्विवेदी को परीक्षित कराया गया है।

प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजनपक्ष की ओर से विद्वान

लोक अभियोजक के विद्वतापूर्ण तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का गहनता से अनुशीलन किया।

यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रस्तुत मामले की घटना दिनांक 03.04.2000 समय 4.00 बजे की होना कथित है और दिनांक 03.04.2000 को 12.10 बजे थाना सचेण्डी में मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट जग्गू पुत्र गुलजारी की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम हुआ है। न्यायालय को प्रस्तुत मामले में यह देखना है कि क्या दिनांक 03.04.2000 को जिस समय अभियुक्त के द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग 12 वर्षीय पुत्री को ले जाये जाने का कथन अभियोजन की ओर से रखा गया है उस तिथि पर उसकी वास्तविक उम्र क्या थी। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रमाणपत्र जिसमें उसकी जन्मतिथि 01.04.1985 उल्लिखित है के अतिरिक्त हाईस्कूल का कोई प्रमाणपत्र जन्मतिथि के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया है, उक्त अभिलेखीय साक्ष्य के अतिरिक्त और कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। धारा–7ए किशोर न्यायालय(बालको के देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम) 2000 के आलोक में धारा 7ए के अनुसार न्यायालय को यह देखना है कि क्या घटना की तिथि पर अभियुक्त विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर(बाल अपराधी) था।

अधिनियम में यह उल्लिखित है कि **'' विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर ''** से ऐसा किशोर अभिप्रेत है जिसके बारे में यह अभिकथन हो कि उसने कोई अपराध किया है और ऐसा अपराध करने की तिथि पर उसने 18 वर्ष की आयु को पूरा न किया हो। उपरोक्त प्राविधान के अनुरूप न्यायालय को यह देखना है कि क्या घटना की तिथि पर प्रार्थी / अभियुक्त 18 वर्ष की आयु को पूरा करता था या 18 वर्ष की आयु से कम था।

धारा–7ए किशोर न्यायालय(बालको के देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम) 2000 के प्राविधान के अनुसार जब किसी न्यायालय के समक्ष किशोरावस्था का दावा किये जाने का अनुसरण किये जाने वाली प्रक्रिया अपनाई जायेगी तो उसके संबंध में प्राविधान निम्नलिखित है।

1– मैट्रीकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में।

2– प्रथम बार प्रवेश जिये गये विधालय(शिशु के क्रीडा विधालय को छोडकर) से जन्मतिथि का प्रमाणपत्र, और उसके अभाव में।

3– निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जरनैल सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा(2013)7 एस0सी0सी0–263 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त की उम्र निर्धारित किये जाने के संबंध में यह अवधारित किया जायेगा कि किसी अवयस्क की उम्र निर्धारण में किशोर न्याय (बालको के देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम) 2007 के आधार पर उम्र का निर्धारण

किया जायेगा। उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि नियम–12 में उम्र के अभिनिर्धारण हेतु सर्वप्रथम पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उम्र का निर्धारण किया जायेगा।

किशोर न्याय (बालको के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2007 में यह उल्लिखित है कि उम्र के निर्धारण के लिये क्या प्रकिया अपनायी जायेगी। नियम–12 उपनियम–3ए में तीन प्राथमिकतायें उल्लिखित हैः–

1– मैट्रीकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में।

2– विद्यालय में जन्मतिथि प्रमाणपत्र(प्ले स्कूल से अतिरिक्त) जहां पहली बार प्रवेश लिया गया और उसके अभाव में।

3– जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम, नगर महापालिका अथवा पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

इसके अतिरिक्त यदि उपरोक्त तीनों उपलब्ध न हो तब मेडिकल बोर्ड के द्वारा आयी हुई चिकित्सीय राय के आधार पर उम्र का निर्धारण किया जायेगा।

न्यायालय को यह देखना है कि जो अभिलेखीय साक्ष्य व सी0डब्लू–1 का साक्ष्य प्रस्तुत हुआ है उसके आधार पर जो शैक्षणिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये गये है वह प्रमाणिक साक्ष्य है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जो स्कूल लीविंग प्रमाणपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है वह घटना के काफी दिनों बाद दिनांक 24.01.2004 को प्राप्त किया गया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जिस लीविंग प्रमाणपत्र के आधार पर अभियुक्त के द्वारा बाल अपराधी होने का आधार व दावा किया गया है उसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 24.08.99 को कक्षा–10 में उक्त छात्र का प्रवेश होना उल्लिखित है। जो छात्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है वह भी दिनांक 24.01.2004 को निर्गत किया गया है। इस संबंध में न्यायालय में सी0डब्लू–1 को परीक्षित कराया गया है जिन्होनें अपने बयान में यह कहा है कि श्यामबाबू पुत्र जुग्गीलाल निवासी ग्राम सचेण्डी, कानपुर उसके विद्यालय में जनता इण्टर कालेज बढ़ापुर कानपुर नगर से स्थानान्तरण होकर टी0सी0 सहित मदन गोपाल शुक्ल इण्टर कालेज कठारा,कानपुर नगर में 24.08.1999 को हाईस्कूल में प्रवेश लिया था, उस समय वह उपरोक्त विद्यालय में कार्यरत नहीं था, वह वर्ष 2007 से उक्त विद्यालय में अध्यापक पद पर कार्यरत है। इस साक्षी ने यह कहा है कि *'' मैं अपने साथ विद्यालय का स्थानान्तरण रजिस्टर लाया हूॅ जिसमें छात्र पंजिका संख्या–1102 पर छात्र श्यामबाबू पुत्र जुग्गीलाल का नाम अंकित है जो वर्ष 1999 से 2000 में हाईस्कूल में फेल हुआ था, छात्र की जन्मतिथि रिकार्ड में 01.04.1985 अंकित है। जनता विद्यालय की टी0सी0 साथ नहीं लाया है, उक्त छात्र ने दिनांक 30.06. 2000 को विद्यालय छोड़ दिया था।''* प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने अपने शपथपूर्ण बयान में यह कथन किया है कि वह जनता इण्टर कालेज की टी0सी0 साथ नहीं लाया है, वह यह नहीं बता सकता कि छात्र जनता इण्टर कालेज बाढ़ापुर से कक्षा–9 पास करके आया था या हाईस्कूल फेल होकर आया था। पूर्व विद्यालय के प्रवेश फार्म

व छात्र की जन्मतिथि के संबंध में कोई प्रमाण सी0डब्लू–1 के द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। दिनांक 01.04.85 की जन्मतिथि किस आधार पर विद्यालय में अंकित की गयी, पूर्व विद्यालय में जन्मतिथि दिनांक 01.04.1985 होने का क्या आधार था इस संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी / अभियुक्त के द्वारा अपनी जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए अपने माता–पिता को भी परीक्षित नहीं कराया गया है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जरनैल सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा(2013)7 एस0सी0सी0–263 की उपरोक्त विधि व्यवस्था में हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाणपत्र उपलब्ध होने की दशा में उसी के आधार पर सर्वप्रथम जन्मतिथि अथवा उम्र निर्धारण किये जाने का विधिक सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है। हाईस्कूल फेल होने का स्कूल लीविंग प्रमाणपत्र दाखिल किया गया है उसमें जो जन्मतिथि अंकित हे उसका कोई आधार अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि जो जन्मतिथि 01.04.1985 अंकित है वह प्रमाणिक साक्ष्य है। प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से **1997 जे0आई0सी0, 100(इलाहाबाद) जनार्दन पाण्डे बनाम उ0प्र0राज्य** की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है जिसमें हाईस्कूल प्रमाणपत्र को मेडिकल प्रमाणपत्र जो सी0एम0ओ0 द्वारा जारी किया गया उस पर अदिभावी माना गया है। यहॉ पर प्रस्तुत मामले में हाईस्कूल का कोई प्रमाणपत्र नहीं है और न ही सी0एम0ओ0 का मेडिकल प्रमाणपत्र ही है। उपरोक्त विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होती है। प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से **2005(2) सी0सी0एच0सी0 687(सुप्रीम कोर्ट) बिजेन्द्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य** की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि लम्बित परीक्षण में अथवा जॉच में भी अधिनियम लागू होता है। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि यदि विधि विवादित किशोर अपचारी का मामला है तो वह विवारण के किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है। प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से **2004(2) जे0आई0सी0 1006(इलाहाबाद) लखनऊ बेन्च कुलदीप सिंह बनाम उ0प्र0राज्य** की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जहॉ स्कूल लीविंग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया हो तो किशोर अपराधी का दावा प्रस्तुत किये जाने पर उक्त प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्मतिथि को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **जरनैल सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा(2013)7 एस0सी0सी0–263** उपरोक्त में उम्र के निर्धारण के संबंध में स्पष्ट रूप से मैट्रीकुलेशन या उसके समकक्ष प्रमाणपत्र कें आधार पर उम्र का निर्धारण किये जाने का विधिक सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था का सम्मन करते हुए यहॉ यह स्पष्ट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था जरनैल सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा की विधि व्यवस्था अदिभावी होगी और हाईस्कूल प्रमाणपत्र या उसके समकक्ष प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने पर पहली बार प्रवेश लिये गये विद्यालय के प्रमाणपत्र में जो जन्मतिथि उल्लिखित होगी वह विचार में ली जायेगी,

किन्तु इस प्रकार का कोई प्रमाणपत्र प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस विद्यालय के प्रमाणपत्र के आधार पर वर्तमान विद्यालय में प्रवेश लिया गया और जन्मतिथि उल्लिखित की गयी उस विद्यालय से संबंधित भी कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि छात्र रजिस्टर के मेन्टीनेन्स का काम या तो प्रधानाचार्य के द्वारा किया जाता है या तो संबंधित लिपिक के द्वारा किया जाता है। सी0डब्लू–1 राजेश कुमार द्विवेदी के द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि जिस समय एडमीशन हुआ उस समय वह विद्यालय में कार्यरत नहीं था और वह अध्यापक के रूप में कार्यरत है, पूर्व विद्यालय का कोई प्रमाणपत्र जिसके आधार पर इस विद्यालय में प्रवेश दिया गया उसका भी कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः जन्मतिथि के संबंध में जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है वह प्रमाणित साक्ष्य होना प्रकट नहीं होता है।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि घटना के समय प्रार्थी / अभियुक्त के द्वारा विधि विवादित किशोर अपचारी घोषित किये जाने हेतु जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है वह प्रार्थनापत्र आधारहीन है और खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त श्यामबाबू का प्रार्थनापत्र घोषित किये जाने विधि विवादित किशोर अपचारी खारिज किया जाता है। प्रस्तुत मामले में साक्ष्य सम्पूर्ण हो चुका है तथा अभियुक्तगण का बयान धारा 313 द0प्र0स0 अंकित किया जा चुका है। पत्रावली दिनांक 06.08.2018 को वास्ते बहस पेश हो।

(ज्योति कुमार त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश एस0सी0 / एस0टी0एक्ट
कानपुर नगर।
दि0 30.07.2018